



महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(बीकानेर तकनीकी वि. विद्यालय, बीकानेर का संघटक महाविद्यालय)

WOMEN ENGINEERING COLLEGE, AJMER

(A CONSTITUENT COLLEGE OF BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY, BIKANER)

Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer - 305002

website: www.gweca.ac.in

Ph. No.: 0145-2695535

email: accounts@gweca.ac.in

Fax No.: 0145-2695102

मअमअ/लेखा/2025-26/1880

दिनांक - 10/12/2025

आवश्यक सूचना

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय की अनुमानित गणना प्रपत्र आयकर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. अतः सभी शैक्षणिक/अशैक्षणिक सदस्यों को अनुमानित आय गणना प्रपत्र (GA 55 व अन्य आय के आधार पर की जाने वाली टेक्स कटौती) मय धारा 80 सी में छूट हेतु दस्तावेजों की प्रति/आदि निवेश किया जा चुका हो को पूर्णकर दिनांक 20.12.2025 तक आवश्यक रूप से लेखा शाखा में उचित माध्यम से जमा करवा दे। तथा GA 55 की प्रतिलिपि भी संलग्न करे। आय विवरण पत्र समय पर प्राप्त नहीं होने पर लेखा शाखा द्वारा सीधे वेतन से आयकर की कटौती कर दी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित कार्मिक का होगा।
2. आयकर की धारा 80 जी व 89 (i) के अन्तर्गत छूट के लाभ के संबंध में महाविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। कर्मचारी स्वयं के स्तर पर आयकर विवरणी भरकर आयकर विभाग से छूट प्राप्त करें।
3. मकान किराया भत्ता में आयकर छूट के लिए अजमेर नगर निगम क्षेत्र का किरायानामा/किराया रसीद मय मकान मालिक का PANCARD प्रस्तुत करे।
4. अनुमानित आय में आयकर विभाग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार आय शामिल की जावें। अन्य आय सम्बन्धी किसी भी प्रकार के तथ्य छुपाने/गलत सूचना देने पर आयकर विभाग द्वारा कि जाने वाली कार्यवाही के लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
5. कर्मचारी स्वयं सुनिश्चित करे की उसे Income Tax Scheme 1 या Scheme 2 का चयन किया जाना है के अनुसार टैक्स की गणना कर प्रस्तुत करे।

Privedi
10/12/2025
प्राचार्य

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक (प्राचार्य महोदय को सूचनार्थ)
2. कुलसचिव
3. संस्थापन शाखा
4. शैक्षणिक व अशैक्षणिक सदस्यों को ई-मेल द्वारा सूचना
5. गार्ड फाईल

10/12/25
एफआईए
Pr

